<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—668 / 2010</u> संस्थित दिनांक—07 / 09 / 2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) – – – – – – <u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

राजूलाल पिता बेनीराम बिसेन उम्र—28 वर्ष, निवासी—पिसतवाही, थाना मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

---- <u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-10/03/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—13.08.2010 को समय 4:00 बजे स्थान ग्राम ग्राम चिखलाझोड़ी पर थाना रूपझर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन टवेरा कमांक—एम.पी.50 / सी.1377 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत लक्ष्मण, नैनसिंह, रोशनलाल एवं भैयालाल को साधारण उपहित तथा आहत अर्जुनसिंह को घोर उपहित कारित किया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—13.08. 10 को फरियादी ईशुलाल भोंडेकर उकवा बाजार में ग्राम लत्ता, चालीसबोड़ी के लोग आए थे, उन्हें अपनी गामा क्रमांक—एम.पी. 28 ए/2051 में बैठालकर उकवा से चालीसबोड़ी ले जा रहा था, तभी चिखलाझोड़ी से 3 किलामीटर आगे मोड़ आया और आगे बढ़ा उसी समय शाम 4 बजे बालाघाट तरफ से गाड़ी टवेरा क्रमांक—एम.पी. 50/सी.1377 का चालक राजू बिसेन तेज रफ्तार से वाहन को चलाते हुए लाया और सामने से उसकी गाड़ी को ठोस मार दिया, जिससे उसकी गाड़ी में बैठे लक्ष्मण,

रोशनलाल, अर्जुनसिंह और भैयालाल एवं नैनसिंह सभी निवासी चालीसबोड़ी को चोटे आई थी। फिर घायलो को लेकर वह बैहर थाने गया और रिपोर्ट की। उक्त सूचना पर पुलिस थाना रूपझर में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—88/2010, धारा—279, 337 भा.द.वि. एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत लक्ष्मण की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा—338 भा.द.वि. का इजाफा किया किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

- 1— क्या आरोपी ने दिनांक—13.08.2010 को समय 4:00 बजे स्थान ग्राम ग्राम चिखलाझोड़ी पर थाना रूपझर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन टवेरा क्रमांक—एम.पी.50/सी.1377 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत लक्ष्मण, नैनसिंह, रोशनलाल एवं भैयालाल को साधारण उपहति कारित की ?
- 3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अर्जुनसिंह को घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्द्ओं का सकारण निष्कर्ष :-

5-

ईशूलाल भोंडेकर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि

वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग 4–5 माह पूर्व बरसात के समय की है। घटना दिनांक को वह अपनी गामा वाहन से सवारियों को लेकर उकवा से चालिसबोड़ी जा रहा था, जैसे ही वे ग्राम बिखलाझोड़ी से 02 किलोमीटर दूरी पर पहुंचे तो उधर से तेजी से टवेरा गाड़ी आई तो उसने उसे साईड दिया और जगह पर थोड़ा मोड़ भी दिया था तो टवेरा गाड़ी ने उसकी गामा गाड़ी को टक्कर मार दिया था, जिससे उसकी गाड़ी के सामने साईड पर पूरा टूट गया था। सामने साईड का चका अलग हो गया था तथा उसकी गाड़ी में बैठे पांच सवारियों को चोटें आई थी। उस समय टवेरा वाहन को आरोपी राजूलाल चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी राजूलाल की गलती से हुई थी। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में की थी जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी–2 नहीं बनाया था, किन्तु उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और घटना स्थल पर आई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट व पुलिस कथन के अनुरूप पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कारण प्रकट नहीं होता है।

6— अर्जुनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व पोले के त्यौहार के समय की है। वह घटना दिनांक को उकवा से जीप में बैठकर अपने गांव जा रहा था तो लौगूर और विखलाझोड़ी के बीच में बालाघाट की तरफ से आ रही जीप से उनकी जीप की टक्कर हो गई थी, बालाघाट की तरफ से आने वाली जीप को आरोपी चला रहा था। उनकी जीप को येशुलाल चला रहा था। जिसने अपनी वाहन को पटरी से उतार लिया था, किन्तु आरोपी राजूलाल जिस वाहन को चला रहा था, उसे तेज रफ्तार से चलाकर उनके वाहन को टक्कर मार दिया था। जिससे उसके मुंह पर चोट आई थी और उसके सामने के दो दांत टूट गए थे। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसके सामने पुलिस ने मार्शल जीप जप्त की थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका डाक्टरी परीक्षण शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उक्त दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह सामने वाली जीप के चालक को नहीं देख पाया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि उक्त दुर्घटना में सामने वाली जीप के चालक द्वारा तेज रफ्तार से

चलाकर उनके वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके सामने के दो दांत टूट गए थे। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा चलाए जा रहे वाहन की गलती से दुर्घटना होना और उसे घोर उपहित कारित होने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है।

7— नैनसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 4—5 माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ग्राम उकवा से कावेली जीप में बैठकर जा रहा था तो आरोपी राजूलाल ने बालाघाट तरफ से जीप लेकर आ रहा था और चिखलाझोड़ी के पास उसने उनके वाहन को ठोस मार दिया था, जिससे उसकी दाहिनी पसली पर चौट आई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे। उसका डाक्टरी मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उसके सामने पुलिस ने कोई वाहन जप्त नहीं किया था, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि वह जीप के अंदर बैठा था तथा दुर्घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने केवल दुर्घटना कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु आरोपी की गलती से उक्त दुर्घटना कारित होने के संबंध में साक्षी अपने कथन में स्थिर नहीं रहा है।

8— भैयालाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को वह उकवा से ईशु भोंडेकर की मार्शल वाहन में बैठकर अपने घर चालिसबोड़ी जा रहा था, जब उनका वाहन ग्राम चिखलाझोड़ी और लौगूर के बीच पहुंचा तो सामने से बालाघाट की तरफ से आ रहा चौपाया वाहन जो तेज गित से आ रहा था तो उनके वाहन के ड्राईवर ने उक्त वाहन को साईड दिया तो उनके वाहन का एक चका टकरा गया तो उनके वाहन का एक चका टूट गया था। सामने से आ रहे वाहन को आरोपी राजूलाल चला रहा था। उक्त घटना से उसके दाहिन पैर पर चोट लगी थी। उक्त घटना आरोपी राजूलाल की लापरवाही से घटित हुई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह गाड़ी में बीच में बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि टक्कर किसकी गलती से हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने केवल दुर्घटना कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु आरोपी की

गलती से उक्त दुर्घटना कारित होने के संबंध में साक्षी अपने कथन में स्थिर नहीं रहा है।

लक्ष्मण कुमरे (अ.सा.५) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी राजूलाल बिसेन को पहचानता है, क्योंकि वह उससे आकर मिला था। घटना आज से करीब एक वर्ष पूर्व वर्षा ऋतु के समय की है। घटना के समय आरोपी राजूलाल वाहन को चला रहा था। घटना दिनांक को उकवा बाजार से गामा वाहन में बैठकर वापस अपने गांव लत्ता जा रहा था तो चिखलाझोड़ी और लौगूर के बीच में उनका वाहन बारिश होने की वजह से धीमी गति से अपनी साईड में चल रहा था, तभी एक टवेरा वाहन बालाघाट की ओर से आया और उसने उनके वाहन गामा को ठोस मार दिया था, जिससे हमारे वाहन का सामने का कांच निकल गया था और सामने का रॉड टूट गया था। वह गामा वाहन की सामने की सीट पर बैठा था, उस समय टवेरा वाहन को एक दुबला-पतला युवक चला रहा था। उक्त दुर्घटना से उसे नाक में चोट आई थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि टवेरा वाहन के चालक ने उनके गामा वाहन को साईड में आकर टक्कर मारा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी वाहन को अच्छे से या लापरवाही से चला रहा था, वह नहीं देख पाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दुर्घटना रोड़ में गड़ढा होने के कारण हुई थी।

10— रोशनलाल (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना आज से एक वर्ष पूर्व की है। वह घटना दिनांक को उकवा से अपने घर पर ईशु भोंडेकर की मार्शल में बैठकर जा रहा था तो ग्राम चिखलाझोड़ी और लौगूर के बीच सामने से एक चार पिहया वाहन जीप आई और उनके वाहन को टक्कर मार दिया। उक्त दुर्घटना सामने से आने वाले वाहन के ड्राईवर की गलती से घटित हुई थी। उस समय उसने सामने से आते हुए वाहन के ड्राईवर को देखा था। उसका नाम राजूलाल था। वह पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। उक्त दुर्घटना से उसके दाहिने पैर पर चोट लगी थी। जिस वाहन में वह बैठा था, उसमें दुर्घटना के बाद उसका पिहया निकल गया था और सामने की कांच फूट गया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उसके वाहन में और लोग भी बैठे थे, जिसमें से कुछ लोगो को चोटे आई थी और कुछ लोगो को नहीं आई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार

किया है कि घटना के समय उसे सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं दी थी और वह पीछे बैठा था, इसलिए किसकी गलती से दुर्घटना हुई, वह नहीं बता सकता।

- 11— तरूण देवांगन (अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही कोई बयान लिये थे। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 12— नरेन्द्र विजयवार (अ.सा.१) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह पेशे से बस का झूईवर है और वर्ष 2002 से वाहन चला रहा है। उसके द्वारा दिनांक—21.08.10 को टवेरा वाहन कमांक—एम.पी. 50 सी 1377 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। परीक्षण में उसने वाहन का इंजन, स्टेरिंग, ब्रेक, गियर ठीक पाया था एवं हेडलाईट दाहिने तरफ का टूटा हुआ था और झूईवर की साईड का सामने वाला टायर भस्ट था। दुर्घटना होने वाले वाहन का बोनट चिपका हुआ और ब्रेक वाला द्रम फैला हुआ लग रहा था, गाड़ी की स्थिति चलाने लायक नहीं दिख रही थी। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट वह बताते गया था, जिसको पुलिस का कोई व्यक्ति लिख रहा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अचानक टायर भस्ट हो जाए तो गाड़ी अनबेलेंस होकर अनियंत्रित हो जाती है। यद्यपि वाहन का टायर भस्ट होने के आधार पर दुर्घटना होने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी के प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है। अतएव साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उक्त स्वीकारोक्ति का बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- वह दिनांक—31.08.10 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक—14.08.10 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत लक्ष्मण पिता मोतीराम उम्र—42 वर्ष, निवासी जत्ता थाना उकवा जिला बालाघाट के नाक की हड्डी का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक—3425 है, उसे डॉक्टर आर.के. मिश्रा द्वारा रेफर किया गया था तथा आरक्षक खेमराज नंबर—537 ने एक्सरे कराने लाया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसकी नाक की हड्डीयों में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है एवं एक्सरे प्लेट ए—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किये हैं कि सामान्य

गति से चलते हुए यदि दो वाहन टकरा जाएं तो ऐसी चोट आ सकती है।

डॉ. आर.के. मिश्र (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—14.08.10 को जिला अस्पताल बालाघाट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके समक्ष आहत लक्ष्मण पिता मोतीराम उम्र—42 वर्ष, निवासी लालता थाना रूपझर को पुलिस आरक्षक कमांक—537 खेमराज द्वारा नाक का परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण के दौरान उसके नाक में सूजन थी और दर्द था तथा उसके नाक के अंदर जमा हुआ खून था। जिसे उसने नाक के एक्सरे के लिए रेफर किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

वा. बी.एम. शरणागत (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 13.10.10 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस द्वारा आहत अर्जुन, नैनसिंह, रोशनलाल, भैयालाल, लक्ष्मण को परीक्षण हेतु पेश किये जाने पर उसके द्वारा उक्त आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत अर्जुन का दांत टूटा हुआ होने तथा अन्य आहतगण को दंत चिकित्सक व अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास दिखाने की सलाह दी थी। आहतगण की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 लगायत प्रदर्श पी—13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस चिकित्सीय साक्षी ने उक्त आहतगण को साधारण उपहित कारित होने की पुष्टि की है।

ाहाँ. ए.पी. अरोरा (अ.सा.13) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.08.10 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में दंत चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना रूपझर की पुलिस द्वारा आहत अर्जुन, नैनसिंह एवं लक्ष्मण की चोट का परीक्षण हेतु लाया गया था। उसने आहत अर्जुन की चोट के परीक्षण में दांत कोनिक डिस्ट्रक्टेट पेरियोडेंटिटिस नामक बीमारी से ग्रसित होना तथा सभी दांत हिलने की स्थिति में पाए थे। उसकी दांई तरफ के उपरी जबड़े में दांत मौजूद नहीं थे। आहत को उक्त चोट स्वयं के गिरने से या बोथरी या सख्त वस्तु के प्रहार से आ सकती थी। आहत नैनसिंह व लक्ष्मण के परीक्षण में उनको कोई चोट के निशान नहीं पाया था। आहतगण की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—8, प्रदर्श पी— 9 एवं प्रदर्श पी—10 है। इस प्रकार इस चिकित्सीय साक्षी ने आहत अर्जुन के दांत टूटने के कारण उसे घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी के.पी. मिश्रा (अ.सा.14) ने मुख्य परीक्षण में 17-कथन किया है कि वह दिनांक-13.08.10 को वह थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ईशुलाल की मौखिक रिपोर्ट पर वाहन कमांक-एम.पी. 50 सी-1377 के चालक आरोपी राजू बिसेन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक—88 / 10, धारा—279,337 भा.द.वि. प्रदर्श पी—1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना हेतु डायरी प्राप्त होने पर उसने उक्त दिनांक को ही ईशुलाल की निशानदेही पर नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने घटनास्थल से वाहन क्रमांक-एम.पी. 50 सी-1377 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी राजू से उक्त वाहन के दस्तावेज व ड्राईविंग लाईसेंस जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया था। आहत को फ्रेक्चर होने की रिपोर्ट के आधार पर धारा-338 का ईजाफा किया था। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

18— उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन करते हुए रजत कुमार (अ.सा.८) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसके समक्ष पुलिस ने टवेरा वाहन मय दस्तावेज के आरोपी से जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण ईशुलाल (अ.सा.1) एवं अर्जुन (अ.सा.2) ने एक मत में अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी से चलाते हुए उनके वाहन को टक्कर मार दी थी तथा उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती थी। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से इस तथ्य का भी समर्थन होता है कि उक्त दुर्घटना में आहत अर्जुन के दांत टूट जाने से उसे घोर उपहित कारित हुई थी। आहत अर्जुन का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सीय साक्षी ने भी उसके उक्त घटना के समय दांत टूटे हुए पाए जाने का समर्थन करते हुए उसे घोर उपहित कारित होने की पुष्टि की है। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन टवेरा को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर आहत अर्जुन को घोर उपहित कारित की गई थी।

20— आहतगण नैनिसिंह (अ.सा.३), लक्ष्मण कुमरे (अ.सा.५) एवं रोशनलाल (अ. सा.६) ने अपनी साक्ष्य में उक्त दुर्घटना के कारण उन्हें साधारण चोट कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जबिक आहत भैयालाल (अ.सा.४) ने अपनी साक्ष्य में उक्त दुर्घटना में उसे किसी प्रकार की चोट कारित होने की पुष्टि नहीं की है। इस प्रकार उक्त आहतगण और उनकी चिकित्सीय रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आहत नैनिसंह, लक्ष्मण व रोशनलाल को उक्त दुर्घटना में साधारण उपहित कारित हुई थी। प्रस्तुत साक्ष्य से आहत भैयालाल को उपहित कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उक्त दुर्घटना में आहत अर्जुन को घोर उपहित एवं आहत नैनिसेंह, लक्ष्मण और रोशलाल को साधारण उपहित कारित हुई थी। 21— महत्वपूर्ण साक्षियों ईशुलाल (अ.सा.1) एवं अर्जुन (अ.सा.2) की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित टवेरा वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक लोकमार्ग पर चालन करते हुए मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया और जिसके फलस्वरूप आहत अर्जुन को घोर उपहित एवं आहत नैनिसंह, लक्ष्मण व रोशनलाल को साधारण उपहित कारित हुई।

22— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / सी.1377 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन से टक्कर मारकर आहत अर्जुन को घोर उपहित एवं आहत नैनिसंह, लक्ष्मण व रोशनलाल को साधारण उपहित कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (तीन बार), 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

23— आरोपी के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी के द्वारा वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उसके विरूद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है:—

<u>धारा</u>	कारावास की सजा	<u> अर्थदंड ट</u>	
	00		में कारावास
धारा—279 भा.दं.वि.	न्यायाल्य उठने	1,000 / —रूपये	एक माह का सादा
15	तक की सजा		कारावास
धारा—337 भा.दं.वि.	न्यायालय उठने	500 / —रूपये	एक माह का सादा
(आहत नैनसिंह के लिए)	तक की सजा		कारावास
धारा–337 भा.द.वि.	न्यायालय उढने	500 / —रूपये	एक माह का सादा
(आहत रोशनलाल के लिए)	तक की सजा		कारावास
धारा–337 भा.द.वि.	न्यायालय उढने	500 / —रूपये	एक माह का सादा
(आहत लक्ष्मण के लिए)	तक की सजा		कारावास
धारा—338 भा.द.वि.	न्यायालय उटने	1,000 / —रूपये	एक माह का सादा
(आहत अर्जुन के लिए)	तक की सजा		कारावास

24- अारोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25— प्रकरण में आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। अतएव उक्त के संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टवेरा क्रमांक—एम.पी.50—1377 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार पारस देवांगन पिता सरजूराम देवांगन उम्र—27 वर्ष निवासी चारटोला मलाजखण्ड, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट